591वी
(59)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

वित्त समिति की बैठक

दिनांक : 10-03-2021 अपरान्ह : 12:00 बजे, दिन : बुधवार

स्थान : एकेडमिक भवन, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में आयोजित बैठक की कार्यवाही

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

1. **प्रो० डी०आर० सिंह** — अध्यक्ष
   कुलपति,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
   कानपुर।

2. **श्री अजय जौहरी,** — सदस्य
   अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर।
   (प्रमुख सचिव वित्त, द्वारा नामित प्रतिनिधि)

3. **डॉ० रिपुदमन सिंह,** — सदस्य
   क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
   (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि)

4. **प्रो० जे०के० शर्मा,** — सदस्य
   डिपार्टमेन्ट ऑफ बिजनेस एडंमिनिस्ट्रेशन
   लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ।

5. **डॉ० अनिल कुमार यादव** — सदस्य
   कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
   कानपुर।

6. **साधना श्रीवास्तव** — सचिव
   वित्त अधिकारी
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
   कानपुर।

::कार्यवाही::

सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए परिचय कराया गया तथा अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं० :: 01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.11.2020 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

पिछली वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.11.2020 के कार्यवृत्त, Action Taken Report सम्पुष्टि हेतु ,संलग्न कर सादर प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या–01 को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया मात्र बिन्दु संख्या–02 और बिन्दु संख्या–03 पर बैलेन्स सीट तथा वास्तविक व्यय के आंकडों को मिलान कर वित्त समिति को अवलोकित कराने हेतु निर्देश दिये।

क्रमश......2 पर

बिन्दु संख्या–04 पर यह निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में गठित की गयी समिति द्वारा आज दिनांक 10.03.2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है अतः समिति को निर्देशित किया जाये कि अपनी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें। तद्उपरान्त इस बिन्दु पर निर्णय लिया जाये। बिन्दु संख्या–05 पर गत एक माह की विस्तृत रिपोर्ट वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा की।

बिन्दु संख्या–06 एवं बिन्दु संख्या–07 पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>प्रस्ताव सं0 :: 02</u>

छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय परिसर में आधुनिक तकनीकी एवं अनुसन्धान केन्द्र (आई0ई0टी0–04) भवन निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को पूर्व में अवर अभियंता, अभियंत्रण विभाग की संस्तुति के आधार पर प्रदान की गई अग्रिम कुल धनराशि रु0 18,21,00,000/– के समायोजन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय परिसर में आधुनिक तकनीकी केन्द्र एवं अनुसंस्थान केन्द्र आई0आई0ई0टी0–4 भवन का निर्माण कराया गया। निमाण हेतु कार्यदायी संस्था उ.प्र.राजकीय निर्माण निगम थी राजकीय निर्माण द्वारा निर्माण किये जाने हेतु आगणन रू0 1566.72 लाख का प्रस्ताव किया।जिसे वि0वि0 की भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 28.09.2012 की बैठक में बिन्दु सख्या–17 द्वारा पारित किया गया। तद्उपरान्त आधुनिक तकनीकी केद्र अनुसथान केन्द्र का कुर्सी क्षेत्रफल बढ जाने के कारण यू0पी0निर्माण निगम द्वारा अतिरिक्त कार्य हेतु अतिरिक्त आगणन रु0 337.72 लाख का आगणनं प्रस्तुत किया। इसे भी भवन निर्माण समिति द्वारा दिनांक 16.05.2017 बिन्दु संख्या–03 स्वीकृत किया गया इस प्रकार निर्माण निगम को कुल धनराशि सम्पूर्ण कार्य हेतु रु0 1904.44 लाख विश्वविद्यालय द्वारा दी जानी थी।

अक्टूबर,2017 से आधुनिक तकनीकी एवं अनुसंधान केन्द्र आई0ई0टी0–4 संस्थान केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण निगम को कार्य कराने हेतु विभिन्न तिथियों में कुल रु0 1821.00लाख अग्रिम के रूप में प्रदान किया गया था। जिसके विरूद्ध निर्माण निगम द्वारा समय–समय पर आडिटेड एकाउण्ट के रूप में व्यय विवरण कुल धनराशि रु 1890.00 लाख के उपलब्ध कराये। अतः विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण द्वारा व्यय की गयी धनाशि रु 1890.00 लाख का भुगतान अग्रिम को समायोजित करते हुए किया जाना है।

निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत व्यय विवरण	–	1890.00 लाख
वि0वि0 द्वारा निर्माण निगम को दिया गया अग्रिम	–	1821.00 लाख
वि0वि0 द्वारा अग्रिम समायोजित	–	1821.00 लाख
शेष धनराशि	–	**69 लाख**

समिति को उपरोक्तानुसार रु0 1821.00 के प्राप्त व्यय विवरण के सापेक्ष समायोजन तथा रु0 69 लाख के भुगतान की स्वीकृति पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत।

क्रमशः........3 पर

प्रस्ताव संख्या–02 को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। तथा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि निर्माण करने वाली संस्था द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अग्रिम पर कोई ब्याज अर्जित किया है तो उसे भी संस्था को भुगतान की जाने वाली अवशेष धनराशि में समायोजित कर लिया जाये। इस हेतु निर्माण संस्था को निर्देश दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या–03

विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यायों को दिये गये अग्रिम के समायोजन का प्रस्ताव।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों को दिये गये अग्रिमों के असमायोजित अग्रिमों की सूची बनाई गई जिनके समायोजन न होने की आपत्ति उठाई गई। उक्त अग्रिम की धनराशि महाविद्यालयों को परीक्षा संचालन हेतु आंशिक भुगतान के रूप में निर्गत किये गये है। महाविद्यालयों द्वारा व्यय विवरण व अवशेष देय प्रतिपूर्ति की मॉग न प्रस्तुत किये जाने के कारण तथा समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण ऐसे अग्रिमों को प्रतिपूर्ति के रूप में स्वयमेव समायोजित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि सम्प्रेक्षा आपत्ति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2015 तक महाविद्यालयों को परीक्षा कार्य संचालन हेतु दिये गये उसी श्रेणी के अग्रिमों जो वास्तव में आंशिक भुगतान थे व अद्यतन असमायोजित दर्शित है उनका भी स्वयमेव प्रतिपूर्ति के रूप में समायोजन मान लिया जाय। उक्तानुसार प्रस्तावित अवधि से सम्बंधित अवशेष असमायोजित दर्शित अग्रिम को प्रतिपूर्ति के रूप में विवरण निम्नवत् है–

1.दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2015	₹ 5,99,76,353.00
कुल धनराशि	**₹ 5,99,76,353.00**

इन असमायोजित अवशेष अग्रिमों का प्रतिपूर्ति के रूप में समायोजन किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

प्रस्ताव संख्या–03 को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या–04

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 17 दिसम्बर,2020 पर विचार।

विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों द्वारा जमा किये गये प्रवेश शुल्क को छात्र वापस प्राप्त कर सकते हैं यदि वे प्रवेश लेने के इच्छुक न हो और विश्वविद्यालय में उनके द्वारा शुल्क जमा किया जा चुका हो। प्रवेश शुल्क वापसी की वर्तमान में निम्न प्रक्रिया है:–

1. प्रवेश की अन्तिम तिथि के अन्तर्गत आवेदन पत्र करने पर शिक्षण शुल्क से रु0 1000 कटौती।
2. शिक्षण शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि से 01 माह के अन्दर आवेदन करने पर रु0 5,000/–कटौती।
3. शिक्षण शुल्क जमा करने की तिथि से 01 माह के पश्चात व 02 माह के अन्तर्गत आवेदन करने पर शिक्षण शुल्क में से रु0 10,000/–कटौती कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

क्रमशः.........4 पर

4. शिक्षण शुल्क जमा करने की तिथि से 02 माह के पश्चात आवेदन करने के पर शिक्षण शुल्क की धनराशि व्यपगत हो जायेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.03.2017 में पारित है।

वर्तमान में कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत यू0जी0सी0 द्वारा सभी विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की गयी है कि "IN order to avoid financial hardship being faced by the parents due to lockdown and related facors, full refund of fees be made on account of all cancellation of admissions/migration of students, up to 30.11.2020 for this very session as a special case. To be crystal clear, the entire frees including all charges be refunded in totality (Zero Cancellation charges) on account of cancellation/migration up to 30.11.2020. Thereafter, on cancellation/ withdrawal of admissions up to 31.12.2020, the entire fee collected from a student be refunded in full after deduction fo not more than Rs. 1,000/- as processing fee."

You are once again requested to ensure the compliance of the UGC directions in respect of refund of fee in accordance with the UGC Guidelines on Academic Calendar for the first Year of Under-Graduate and Post-Graduate Students of the university for the Session 2020-2021 in view of COVID-19 Pandemic.

भारत सरकार का पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 पत्रांक संख्या–NO. F.14-17/2020(CPP-II) Date 17-12-2020)

यू0जी0सी के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देश को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत/लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव संख्या–04 को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। इस शर्त के साथ कि पुराने प्रकरण उदघटित नही किये जायेगें।

प्रस्ताव संख्या–05

विश्वविद्यालय आकाशवाणी पर विद्यावाणी प्रोग्राम प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय द्वारा आकाशवाणी पर विद्यावाणी प्रोग्राम का प्रसारण किये जाने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है जो एकेडमिक रिसोर्स सेण्टर के तत्वाधान में संचालित किया जाएगा। यह प्रोग्राम प्रत्येक शनिवार को सांयः 6.00 बजे से सांय 6.30 बजे के मध्य एपिसोड में आकाशवाणी विविध भारतीय एफ0एम0–103.7 मेगा हट्र्स पर प्रसारित किया जायेगा, जिस पर कुल व्यय रु0 1,68,504.00 होने की सम्भावना है।

उपरोक्त प्रसारण में छात्रों व विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लाभ से सम्बंधित शैक्षणिक वार्ता होगी जिसका लाभ विश्वविद्यालय के परिसर छात्र तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा उठाया जायेगा। चूँकि यह प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया जायेगा। अतः इस प्रसारण का लाभ दूर–दराज में रहने वाले छात्र भी उठा सकेगें तथा छात्रों के अभिभावक भी विश्वविद्यालय की उत्तम कार्य प्रणाली तथा विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेगें।

क्रमशः..5 पर

आकाशवाणी पर विद्यावाणी प्रोग्राम प्रसारित किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव संख्या–05 को वित्त समिति के समक्ष पूर्ण विवरण के साथ पुनः प्रस्तुत किया जाय।

प्रस्ताव संख्या–06

दीक्षान्त समारोह दिनांक 22.03.2021 पर होने वाले व्यय पर विचार।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का दिनांक 22.03.2021 को होने वाले 35वें दीक्षान्त समारोह में रु0 32 लाख(रु0 बत्तीस लाख)का प्रावधान बजट में किये जाने का प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव संख्या–06 को वित्त समिति के समक्ष विचार विमर्श के दौरान यह प्रकाश में आया कि प्रस्तावित किये गये 32 लाख में पिछले दीक्षान्त समारोह के लगभग 4 लाख रुपये के भुगतान भी सम्मिलित हैं। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गत दीक्षान्त से सबंन्धित धनराशि रु0 4 लाख को छोड़कर (Rs. 32lac -4 Lac= 28Lac) लाख को छोड़कर रु0 28 लाख दीक्षान्त समारोह दिनांक 22.03.2021 पर होने वाले व्यय हेतु बजट प्रावधान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि व्यय करते समय शासकीय प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिसमें क्रय समिति द्वारा की गयी संस्तुति/जेम द्वारा क्रय/कोटेशन द्वारा क्रय यथास्थिति आदि सम्मिलित है।

प्रस्ताव संख्या–07

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

पूरक कार्य-सूची

अन्य विषय (अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

प्रस्ताव संख्याः 01

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिसर में समस्त विभागों के निदेशक/वित्त एवं लेखाधिकारी/विभागाध्यक्ष/अवर अभियंता, विद्युत/अवर अभियंता,सिविल/कोआर्डिनेटर/प्रभारी/ वार्डेन पुरूष/ महिला छात्रावास को अति तात्कालिक तथा आपात स्थितियों में समय–समय पर तत्काल व्यय करने हेतु इम्प्रेस्ट मनी (Imprest Money) स्वीकृति करने के लिए निम्नवत् प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

1. समस्त विभागों के निदेशक/वित्त एवं लेखाधिकारी एवं विभागाध्यक्ष – अधिकतम रु0 20,000/–
2. अवर अभियंता, विद्युत एवं अवर अभियंता, सिविल – अधिकतम रु0 15,000/–
3. प्रभारी वार्डेन पुरूष छात्रावास एवं महिला छात्रावास – अधिकतम रु0 10,000/–

क्रमश...6 पर

किए गए व्ययों की स्वीकृति तथा उसका नियमन अन्य व्ययों की भाँति ही किया जाएगा।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव संख्या–01 को वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्याः 02

छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय परिसर में इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सांइस जो स्ववित्तपोषित योजनाअन्तर्गत संचालित है। हेल्थ सांइस विभाग के संचालन हेतु कोआर्डिनेटर का पद सृंजित है जिसे कार्यवाहक निदेशक का नाम प्रदान किय जाने पर पर विचार।

हेल्थ सांइस विभाग स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय परिसर/भवन में संचालित किया जा रहा हैं जिसके संचालन का दायित्व को–आर्डिनेटर को सौपा गया है।

को–आर्डिरेटर संस्थान का प्रशासनिक कार्य सम्पादित करते हैं विश्वविद्यालय के बाहर के लोगों को "कोआर्डिनेटर " को समझने में अपेक्षित प्रतिष्ठा नही मिल पाती हैं। अतः विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि कोआर्डिनेटर के स्थान पर कार्यवाहक निदेशक का पद नाम कर दिया जाये जो जनता में ज्यादा प्रचलित व ग्राह्य है।

समिति के समक्ष कोआर्डिनेटर के पद नाम को परिवर्तित कर कार्यवाहक निदेशक का पद नाम किये जाने पर प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रस्ताव संख्याः 02 पर समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय लाभ ~~कोआर्डिनेटर~~ (कार्यवाहक निदेशक) (इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस) को नहीं प्रदान किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या–03

विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या–F-25–1/2018(PS/MISC) दिनांक 28 जनवरी,2019 जो गेस्ट फैकेल्टी को प्रदान किये जाने वाले मानदेय की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में है। उक्त आदेश को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या–03 पर समिति द्वारा यह निदेश दिया गया कि पत्र के क्रम में उ0प्र0 शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(साधना श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी/सचिव

10/3/21
(प्रो. डी. आर. सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष